

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग, (भ/स) उप-संभाग सुकमा

Ph. No. 07864-284451

Email Add. sdopwdsukma@gmail.com

ज्ञापन क्र. 1252/अविलि/लो.नि.वि./2022-23,
प्रति,

सुकमा, दिनांक 30/12/2022

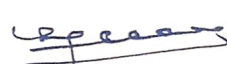
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
अनुविभाग - सुकमा।

विषय :- भू-अर्जन संबंधित प्रस्ताव एवं सामाजिक समाधान संबंधित प्रपत्र जमा करने बाबत।

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला सुकमा के सुकमा में महादेव डोंगरी से जिला सेनानी कार्यालय से एन.एच.-30 पहुंच मार्ग लंबाई 4.00 किमी. (वास्तविक लंबाई 2.75 कि.मी.) का निर्माण कार्य में 04 निजी भूमि स्वामी की कुल 0.125 हेक्टे. भूमि प्रभावित होने के फलस्वरूप तैयार भू-अर्जन संबंधित प्रस्ताव एवं सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन संबंधित प्रपत्र दो, तीन एवं चार की जानकारी आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार प्रपत्र मूलतः (एक सेट)


अनुविभागीय अधिकारी
लो.नि.वि. (भ/स) उप-संभाग
सुकमा




अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)
02/01/23

18
2-1-2023

स.क.	संबंधित व्यक्ति का विवरण	
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक)एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	कोसी सोड़ी व अन्य जाति गोड़
2	पति / प्रर्ति का नाम	सोमा सोड़ी
3	पिता / माता का नाम	-
4	पता	ग्राम. गिरदलपारा पो. गिरदलपारा जि. सुकमा
5	ग्राम / बस्ती	गिरदलपारा
6	ग्राम पंचायत / नगर पालिका / नगरीय निकाय	नगर पालिका सुकमा
7	तहसील / तालुका	सुकमा
8	जिला	सुकमा
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित व्यक्तों सहित)	महेश सोड़ी 39 वर्ष
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	2.023 हे.
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.14 हे.
12	प्लॉट नं.	ख.नं. 691/2-
13	अधिकारों का अभिलेख	ख.नं. 691/2.
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	-
15	पट्टा / लीज / अनुदान, यदि कोई हो	-
16	कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित, यदि कोई हो	-
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मैं निम्नलिखित कथन करना चाहता हूं (कृपया गोला लगाएं)	-

क) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।	हाँ	नहीं
ख) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ।	हाँ	नहीं
ग) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ।	हाँ	नहीं

① MSA (महेश सेठी)

कौसी

प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा
अंगूठे का निशान और तारीख

पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, निबंधन एवं शर्तें, प्रतिकर एवं
अन्य निबंधन तथा शर्तें प्ररूप सं संलग्न होनी चाहिए।

हस्ताक्षर

प्रमुख विभागीय अधिकारी

हस्ताक्षर हस्ताक्षर विभागीय अधिकारी
जिला पदधारी हस्ताक्षर और तारीख

प्ररूप-दो
(नियम 18 देखिए)
भाग-क-पूर्व लिखित सहमति/घोषणा प्ररूप

क्र.	संबंधित व्यक्ति का विवरण	
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	शेखर साजिद अति-सुखमान
2	पति / पत्नी का नाम	-
3	पिता / भ्राता का नाम	शेखर साजिद
4	पता	शेखर साजिद सुकमा
5	ग्राम / बस्ती	— " —
6	ग्राम पंचायत / नगर पालिका / नगरीय निकाय	नगर पालिका, सुकमा
7	तहसील / तालुका	सुकमा
8	जिला	सुकमा
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित व्यक्तियों सहित)	आश्रित बेगम 53 वर्ष नाजनीन बानो 29 वर्ष शेखर उमर 02 वर्ष
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	0.569 हे.
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.052 हे.
12	प्लॉट नं.	ख.नं. 856/19
13	अधिकारों का अभिलेख	ख.नं. 856/19
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	-
15	पट्टा / लीज / अनुदान, यदि कोई हो	-
16	कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित, यदि कोई हो	-
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मैं निम्नलिखित कथन करना चाहता हूँ (कृपया गोला लगाएं)	-

	(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है / पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।	हाँ	नहीं
	(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ।	हाँ	नहीं
	(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ।	हाँ	नहीं
	 प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अंगुठी का निशान और तारीख		
18	पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, निबंधन एवं शर्तें, प्रतिकर एवं अन्य निबंधन तथा शर्तें प्ररूप से संलग्न होनी चाहिए।		
	 अनुविभागीय अधिकारी जिला निर्माण विभाग रायपुर हस्ताक्षरित प्ररूप भेजे वाले पदाभिहित जिला पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख		

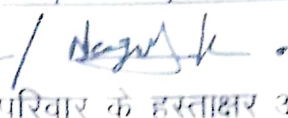
प्ररूप-दो
(नियम 18 देखिए)
भाग-क-पूर्व लिखित सहमति/घोषणा प्ररूप

स.कं.	संबंधित व्यक्ति का विवरण	
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक)एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	कचरराम व अन्य मा.लि. मा.ह.ग.
2	पति /पत्नि का नाम	-
3	पिता /मरता का नाम	पाकलूराम
4	पता	कचरराम डारा श्री रुच. आर. क.अ.प.
5	ग्राम /बस्ती	वार्ड क्र 4, सुकमा
6	ग्राम पंचायत /नगर पालिका /नगरीय निकाय	नगर पालिका सुकमा
7	तहसील /तालुका	सुकमा
8	जिला	सुकमा
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित व्यक्तों सहित)	म.पा.क.ली क.अ.प. -67 वर्ष मिश्रेश कुमार क.अ.प. 40- मुनीन्द्र कुमार क.अ.प. 35- श्री हिरमा राम क.अ.प. 67-
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	0.060 हे.
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.032 हे.
12	प्लॉट नं.	ख. नं. 856/4
13	अधिकारों का अभिलेख	ख. नं. 856/4.
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	-
15	पट्टा /लीज/अनुदान, यदि कोई हो	-
16	कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित,यदि कोई हो	-
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मैं निम्नलिखित कथन करना चाहता हूँ (कृपया गोला लगाएं)	-

/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानांतरण नामांकन पुनः समझा दिया गया है।		
(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ।	हाँ	नहीं
(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ।	हाँ	नहीं
	हिमालय कुमार प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और तारीख	
8 पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, निबंधन एवं शर्तें, प्रतिकर एवं अन्य निबंधन तथा शर्तें प्ररूप सं संलग्न होनी चाहिए।		
	अनुति हस्ताक्षरित प्ररूप लेने वाले पदाभिहित जिला पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख	

प्ररूप-दो
(नियम 18 देखिए)
भाग-क-पूर्व लिखित सहमति/घोषणा प्ररूप

क्र.	संबंधित व्यक्ति का विवरण	
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	गुरमि कौर देवी व अन्य जाति माहरी
2	पति / पत्नि का नाम	-
3	पिता / म्रता का नाम	सुहबा
4	पता	देवी चौक, परनम पारा
5	ग्राम / बस्ती	वाई क्र 4 सुकमा
6	ग्राम पंचायत / नगर पालिका / नगरीय निकाय	नगर पालिका, सुकमा
7	तहसील / तालुका	सुकमा
8	जिला	सुकमा
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित व्यक्तों सहित)	नागेश्वर गुरमि 43 वर्ष गुरमि अजय 30 वर्ष गुरमि प्रदीप 29 वर्ष गुरमि सुख 18 वर्ष
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	0.238 हे.
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.027 हे.
12	प्लॉट नं.	ख.नं. 858/1
13	अधिकारों का अभिलेख	ख.नं. 858/1
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	-
15	पट्टा / लीज / अनुदान, यदि कोई हो	-
16	कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित, यदि कोई हो	-
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मैं निम्नलिखित कथन करना चाहता हूँ (कृपया गोला लगाएं)	-

(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है / पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है।	(हैं)	नहीं
(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ।	(हैं)	(नहीं)
(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ।	(हैं)	नहीं
	गुरुप्रभु प्रमाणित /  /  नमो प्रमाणित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और तारीख	
18 पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, निबंधन एवं शर्तें, प्रतिकर एवं अन्य निबंधन तथा शर्तें प्ररूप सं संलग्न होनी चाहिए।		
	   हस्ताक्षरित  जिला पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख	

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना हेतु विषय-वस्तु की सारिणी

अध्याय	विषय-वस्तु	विवरण
कार्यकारी सार	(क) परियोजना और लोक प्रयोजना	सुकमा में महादेव डोंगरी से जिवा सेनानी कमलेश से अन. रच 30 तक पुस्तक मार्ग 2.75 किमी
	(ख) स्थान	- सुकमा
	(ग) भूमि अर्जन का आकार और विपेशता	0.125 हे०
	(घ) अनुकल्पों पर विचार	-
	(ङ.) सामाजिक समाघात	-
	(च) कमी करने के उपाय	- कोई नहीं है -
	(छ) सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण जिससे शिक्षा व्यापार एवं कृषि में वृद्धि	- न्यूनतम है अन. रच. 30 से मुड़ जायेगा।
परियोजना के विवरण का ब्यौरा	(क) परियोजना के पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्ठभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित	एच. ग. सेड - इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉन्ट्रिब्यूशन विभिन्न के लहव निर्माणाधीन
	(ख) परियोजना का मूलाधार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में परियोजना किस तरह लोक प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, सूचीबद्ध मानदण्डों सहित	- उपयुक्त है
	(ग) परियोजना के आकार, अवस्थान, क्षमता, उत्पादन लक्ष्य, लागत, जोखिम का ब्यौरा	- जोखिम नहीं
	(घ) अनुकल्पों की परीक्षा	-
	(ङ.) परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएँ	- पूर्ण
	(च) मूल डिजाइन की विशिष्टियाँ और सुविधाओं का आकार और प्रकार	- पूर्व में विद्यमान मार्ग में निर्माण कार्य किया जावेगा। नो इन्टरफेरेंस नहीं
	(छ) सहायक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता	-
	(ज) कार्यबल अपेक्षाएँ (अस्थाई और स्थाई)	-
	(झ) सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा, यदि पहले से किया गया है और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट	-
	(ञ) लागू किए गए विधान और नीतियाँ।	-

दल की संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची	(क) दल की सभी सदस्यों की अर्हता सहित सूची, दल लिंग विशेषज्ञों सहित (ख) सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सूचना संग्रहण के लिये प्रयोग में आने वाली प्रणाली का विवरण और मूलाधार तथा साधन (ग) नमूना प्रणाली का उपयोग (घ) सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यावलोकन (विस्तृत निर्देशों को पृथक रूप से प्ररूपों में सम्मिलित करें) (ङ.) प्रमुख पणधारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाइयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची (लोक सुनवाइयों के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुनर्निवेशन को रिपोर्ट में रखकर प्ररूपों में सम्मिलित किया जाना चाहिये)	- पृथक से संकलन है। - स्थल निरीक्षण द्वारा - - आवश्यक नहीं - सम्मति सब संकलन है।
भूमि अवधारणा	(क) भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोत-नक्शों की सहायता से वर्णन करें (ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक सीमित नहीं है) (ग) परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि (घ) वर्तमान में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि, जो कि परियोजना क्षेत्र के आसपास है, का उपयोग (ङ.) भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई, अन्य संक्रामित, पट्टे पर या अर्जित है और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लॉट का आश्रित उपयोग (च) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण और स्थान (छ) भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि कृषि भूमि हो तो सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम (ज) धारित भूमि का आकार, स्वामित्व क्रम, भूमि वितरण और आवासीय सदनों की संख्या (झ) भूमि की कीमत और स्वामित्व में नए परिवर्तन पिछले 3 वर्षों से भूमि का अंतरण और उपयोग	- - - 0.125 हे० - - - - 0.125 हे० - नहीं - 0.125 हे० -

प्रभावित परिवारों एवं संपत्तियों (जहाँ अपेक्षित हो का प्रावकलन और प्रगणन)	निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्रावकलन इस प्रकार से है— (क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो कि अर्जन के लिए प्रस्तावित है) (एक) किराएदार है अथवा अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिभोगी है (दो) अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी, जिनके किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है (तीन) सामान्य भूमि स्रोतों पर आश्रित, जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी (चार) समुचित सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के अधीन भूमि सौंपी गई है और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है (पांच) भूमि अर्जन से पूर्व, शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से रह रहे हैं (छः) अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षों से जीविका का प्राथमिक स्रोत है, पर आश्रित है (ख) परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाघात (स्वयं की भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है) (ग) उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमियों की तालिका	चार भूमि स्वामी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं
सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पार्श्वदृश्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)	(क) परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकी ब्यौरा (ख) आय एवं गरीबी स्तर (ग) दुर्बल समूह (घ) भूमि उपयोग और जीविका (ङ) स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप (च) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान है (छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन (ज) प्रशासनिक संगठन	कुल जनसंख्या - 2871 कुल परिवार - बीपीएल परिवार - 311 - - - - - -

	(झ) राजनैतिक संगठन (ज) समुदाय-आधारित और सिविल सोसाइटी संगठन (ट) क्षेत्रीय सक्रियता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं (ठ) जीवन पर्यावरण की गुणवत्ता	नगर पालिका जातीय सामाजिक संगठन अच्छी कोई नहीं कोई नहीं
सामाजिक समाघात	(क) पहचान में आए समाघातों के लिए कार्य ढोंचा और दृष्टिकोण (ख) परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का विवरण, जैसे स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति। प्रत्येक प्रकार के समाघात पृथक पहचान के लिए कि क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघात है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गों पर भेददर्शक समाघात और जहाँ लागू हो-आकलित समाघात। (ग) समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची में सम्मिलित है भूमि, जीविका और आय, भौतिक संसाधन, निजी आस्तियाँ, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक संबंध तथा लिंग आधारित समाघात।	कोई नहीं केवल कार भूमि स्वामियों की भूमि
लागतों और फायदों का विश्लेषण और अर्जन पर सिफारिशें	(क) लोक प्रयोजन का निर्धारण, निम्न-विस्थापित अनुकल्प तथा भूमि की न्यूनतम अपेक्षाएं, सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता, शमन के उपायों की व्यवहार्यता और प्रतिकूल सामाजिक लागतों की व्याख्या के समाधान के बारे में अंतिम निष्कर्ष। (ख) उपरोक्त विश्लेषण नियम में वर्णित साम्या सिद्धांत का अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने पर, कि क्या अर्जन होना चाहिए या नहीं, विश्लेषण की कसौटी के रूप में उपयोग किया जाएगा।	बृहत कोक प्रयोजन अति, न्यूनतम प्रस्तावित अर्जन बृहत लोकहित में उपयोगी है शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि, व्यापार सुगम या लायात में वृद्धि एवं समग्र विकास पहुँच मार्ग निर्माण होने के कारण अतः अर्जन होना चाहिए
निर्देश एवं प्रारूप	निर्देश एवं आगे सूचना हेतु	

प्ररूप-तीन
सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन
(नियम 23 देखिये)

1 परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी का विवरण:-

(क) कुल जनसंख्या	(एक) पुरुष - 994,	(दो) महिला 843.
(ख) बच्चों की संख्या	(एक) पुरुष - 142	(दो) महिला - 150
(ग) जातिवार जनसंख्या	(एक) अ.ज.जा. - 526	(दो) अ.जा. - 150
(घ) धर्मवार जनसंख्या	(तीन) अ.पि.व. - 505	(चार) अन्य - 948
	(एक) हिन्दू - 1767	(दो) मुस्लिम - 192
	(तीन) सिक्ख - 4	(चार) इसाई - 85
	(पांच) बौद्ध - 4	(छः) अन्य - 77

- 233 -

- 61

- 18

- 829

- -

- -

- -

- नगर पालिका
कुठमा

- -

2 गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या

3 वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या

4 निराश्रित पेंशनरों की संख्या

5 निरक्षर पुरुष एवं महिलाओं की संख्या

6 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन

7 प्रशासनिक संगठन

8 राजनीतिक संगठन

9 सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य

10 भूमि का उपयोग:-

(एक) कृषि भूमि

686.647 हे

- 11/2 पट्टी - 300 रु.
2 ले 5 लाख पट्टी - 250 रु.

- (दो) पड़त भूमि
- (तीन) सिंचित एक फसली भूमि
- (चार) सिंचित दुफसली भूमि
- (पांच) असिंचित भूमि

- 99.341 रु.
-
- ~~587.306~~
- 587.306 रु.

11 जौत का प्रकार:-

- (एक) लघु कृषको की संख्या
- (दो) सीमांत कृषको की संख्या
- (तीन) कुल खातो की संख्या
- (चार) भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या
- (पांच) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या
- (छीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियों की संख्या पृथक के दी जाये)

- 197
- 2278
- 3097
-
- 34

12 पशुधन :-

- (एक) पशुधन की संख्या
- (दो) दधारू पशुधन की संख्या

- 3011
- 301

13 प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कार्य एवं रोजगार

- 14 पलायन
- 15 रोजगार में महिलाओं की भागीदारी
- 16 आदि सुरक्षा
- 17 अन्य स्थानीय रोजगार
- 18 मजदूरी दर
- 19 ऋण एक पट्टी
- 20 परिवहन एवं सड़क
- 21 निवास

- किराया
-
-
-
-
318.00
- 318.00
-
-
-

22 बाजार तक पहुंच

23 पर्यअन स्थल

24 सहकारी संस्थाएं

25 रहन-सहन:-

(एक)धारणाएं,सौंदर्यपक्वता मोह एवं अभिलाषा

(दो)गृह

(तीन)सामुदायिक एवं सिविल स्थान

(चार)धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल

(पांच)भौतिक अद्योसंरचना(यथा जलआपूर्ति,सीवरेज सिस्टम इत्यादि)

(छः)लोक सेवा अद्योसंरचना(यथा विद्यालय,स्वास्थ्य सुविधाएं,आंगनबाड़ी,लोक वितरण सिस्टम इत्यादि)

(सात)सुरक्षा,अपराध एवं हिंसा

महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र

1 भूमि जीविका और आय पर समाघात:-

(क) राजेगार के स्तर और प्रकार

(ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके

(ग) आय के स्तर

(घ) खाद्य सुरक्षा

(ड.) जीवन निर्वाह का स्तर

(च) उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण

(छ) जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुंच

2 भौतिक संसाधनों पर समाघात:-

(क) प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी,वायु,जल,वन)पर समाघात

(ख) जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति,प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव

- प्रभावित
नहीं

- लागू नहीं

- लागू नहीं

- सामान्य

- प्रश्न उपस्थित
नहीं होता

3 निजी संपत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिता पर समाघात:-

- (क) विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की क्षमता
- (ख) गृह सुविधाओं की क्षमता
- (ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव
- (घ) बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़के, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली
- (ङ.) निजी संपत्तियों जैसे बोरवेल इत्यादि पर समाघात

प्रश्न
- उपरिष्ठित
नहीं होगा
-
-
-
-
-

4 स्वास्थ्य समाघात:-

- (क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात
- (ख) वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर समाघात

कागू नहीं
होगा
-
-

5 सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाघात:-

- (क) स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण
- (ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन
- (ग) आर्थिक, पारिस्थिकी संतुलन में परिवर्तन
- (घ) मापदण्ड, विश्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाघात
- (ङ.) अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप
- (च) विस्थापन का तनाव
- (छ) संयुक्त परिवारों के विखण्डन का समाघात

कागू नहीं
होगा
-
-
-
-
-
-

6 चक्रीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाघात :-

- (क) पूर्व-सन्निर्माण चरण
- (ख) सन्निर्माण चरण
- (ग) प्रवर्तन चरण

प्रश्न
- उपरिष्ठित
नहीं होगा
-
-

(घ) कार्य से हटाने वाला चरण

(ड.) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समाघात

(च) संचित समाघात (प्रश्न में परियोजना के चिन्हांकित समाघात क्षेत्रों का मिलाकर अन्य परियोजना के समाघात)

प्रश्न
उपस्थित
नहीं है हा
-
-

महेश माधव
सदस्य
23-12-2022
सदस्य
सदस्य

सदस्य
(मी. के. एस.)

अध्यक्ष
(जगदीश कर्माजिया)

अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग सुकमा
सुकमा (खम)
(मी. के. एस.)

23/12/22
Jagunnath (Raju) Sahu
President
Municipal Council Sukma
Distt.-Sukma (C.G.)

TAMBILDAR
SUKMA